संख्या-16/2020/741/77-3-2020-01एम0/2019टी.सी.

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा / हमीरपुर / महोबा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना में भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-354/यूपीडा/1098/2019/लेखा, दिनांक 13.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु धनराशि रू0 2350.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 2138.54 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। वर्ममान में धनराशि रू0 211.46 करोड़ अवशेष है।

3. जिलाधिकारी, बांदा/हमीरपुर/महोबा द्वारा अपने पत्र दिनांक क्रमशः 04.03.2020, 05.03.2020 एवं 12.03.2020 द्वारा किये गये अनुरोध एवं यूपीडा के पत्र दिनांक 13.03.2020 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में जिलाधिकारी, बांदा को रू0 11.55 करोड., जिलाधिकारी, हमीरपुर को रू0 04.00 करोड़ एवं जिलाधिकारी, महोबा को रू0 07.50 करोड़ भूमि क्रय मद में स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवशेष धनराशि रू0 211.46 करोड़ में से जिलाधिकारी, बांदा को रू0 11.55 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ पचपन लाख मात्र), जिलाधिकारी, हमीरपुर को रू0 04.00 करोड़ (रू0 चार करोड़ मात्र) एवं जिलाधिकारी, महोबा को रू0 07.50 करोड़ (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) की स्वीकृति भूमि क्रय मद में निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
2. उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
3. धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
4. यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा से व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
5. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी/1-170/दस-231/2019, दि0 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

7. किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक अथवा पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी।

5. उपर्युक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 23.05 करोड़ (रू0 तेइस करोड़ पांच लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0.-1/2019/बी-1-170-दस/2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव

संख्या-16/2020/741(1)/77-3-2020, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
04. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा।
05. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
07. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4
08. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।